प्रेषकः—

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल बरेली।

सेवा मे,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र—2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः सी0बी0एस0ई0/ 2416-22 /2025—26 दिनांकः 06/06/2025

विषयः— स्काईलार्क स्कूल, प्रहलादपुर—भोजीपुरा, बरेली को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अवगत कराना है कि ''शासनादेश सं0: शिक्षा अनुभाग—7, 1916/15—7—2009—1(290)/2007 दिनॉकः 14 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णय दिनॉकः 06.06.2025 के कम में **स्काईलार्क स्कूल, प्रहलादपुर—भोजीपुरा, बरेली** को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नहीं हैः—

01— विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

02— विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

03— विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

04— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

05— सस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

06— कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

07— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उसका पालन करेगी।

08— विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

09— उक्त शर्तो मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नही किया जायेगा।

उक्त का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा साथ ही शासन/विभाग द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे, संस्था/विद्यालय उसका अनुपालन करेगी, यदि उक्त प्रतिबन्धों एवं आदेशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(राकेश कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल बरेली।

Scanned with CamScanner

पृ0सं0: सी0बी0एस0ई /   /2025–26 तददिनॉक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

2– शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 लखनऊ।

3– जिलाधिकारी, बरेली।

4– जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।

5– प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, स्काईलार्क स्कूल, प्रहलादपुर–भोजीपुरा, बरेली।

6– निरीक्षक, आंग्ल भाषा, भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रॉक व0स0–प0/7571/2018–19 दिनांक 09.07.19

अध्यक्ष/प्रबन्धक,
स्काई लार्क स्कूल(अंग्रेजी माध्यम)
प्रहलादपुर–भोजीपुरा बरेली।

विषयः– मान्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन–पत्र दिनांक 4.2.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो खण्ड शिक्षा अधिकारी भोजीपुरा , बरेली की आख्या दिनांक 6.7.2019 के उपरान्त प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रॉक व0स0–।।/47902–9/2014–15 दिनांक 31.3. 2015 के द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा–8 तक अग्रेंजी माध्यम की दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 31.6.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त की गयी मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18 /(20)/91 दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर मे निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। "प्रथमतयः निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी । इस अवधि मे मान्यता की शर्तो के उलंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है। आपके ,द्वारा प्रस्तुत पत्र पर खण्ड शिक्षा अधिकारी भोजीपुरा की आख्या के अनुसार विगत तीन वर्षो मे कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही हुआ है। इस लिए शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार आपके विद्यालय की मान्यता जारी रहेगी। यदि आगामी वर्षो मे यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो आपके विद्यालय के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा शासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(तनुजा त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

PRINCIPAL
SKYLARK SCHOOL
Vill - PRAHLADPUR
BHOJIPURA, BAREILLY

MANAGER
SKYLARK SCHOOL
Village- Prahaladpur Bhojipur
Bareilly.